

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(6)ग्रावि / नरेगा / जेटीए / 2010 / 59820

जयपुर, दिनांक

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान,  
जिला दौसा।

12 JUN 2017

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक  
के रिक्त पदों को भरने के क्रम में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

रांदभी :- आपका पत्र क्रमांक एफ(MGNREGA/संस्था/2016-17/17 दिनांक  
18.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा मार्गदर्शन चाहा है कि क्या त्याग पत्र  
से हुए रिक्त पदों को आरक्षित सूची/निचे की मैरिट सूची में से लेकर कनिष्ठ तकनीकी  
सहायक के रिक्त पदों को भरा जा सकता है। इस संबंध में लेख है कि यदि आपने अभी तक  
कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों का नियोजन नहीं किया है तो विभाग के आदेश एफ  
11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342 दिनांक 25.05.2017 के अनुसार कार्यवाही करते  
हुए कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रिक्त पदों को भरा जा सकता है। आपके जिले को कनिष्ठ  
तकनीकी सहायक के कुल 37 स्वीकृत पद हैं, इस संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि  
जिले में 37 से अधिक कनिष्ठ तकनीकी सहायक कार्यरत न हो।

भवदीय,

*मनीष चौहान*  
(मनीष चौहान)  
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समरत जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण  
रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान (अलावा—दौसा)।
2. समरत अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला  
परिषद।
3. रक्षित पत्रावली।

*अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस*